भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 65

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

पाकिस्तानी सीमा से सटे देश के क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव

65. श्री शेर सिंह घुबायाः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तानी सीमा से सटे क्षेत्रों में शिक्षा का पूर्ण अभाव है, जिसके कारण स्थानीय लोग निरक्षर ही रह रहे हैं तथा नशीली दवाओं के सेवन का शिकार हो रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उपर्युक्त क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सीमा क्षेत्रों के संबंध में सरकार की शिक्षा नीति का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकारें हैं, और आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नए स्कूलों के निर्माण, स्कूलों में पेय जल और शौचालय की सुविधा सहित स्कूल की बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और अधिदेश उनके पास है।

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी आवश्यकता और प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए वृद्धिशील आधार पर स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर काम किया जाता है और वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में दर्शाया जाता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान स्कूल शिक्षा और

साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे अनुकूल अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहल के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, पुस्तकालय और खेल अनुदान के लिए सहायता आदि।

एकीकृत समग्र योजना को एनईपी 2020 के साथ भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है, जैसे नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की शुरूआत, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और छात्रों के विकास के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, अनुभवात्मक और योग्यता आधारित शिक्षा, आदि।

प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पात्र छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि छात्रों के बीच आर्थिक असमानता की भावना को कम किया जा सके और उनके अधिगम परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वर्ष 2024-25 के लिए 8.04 करोड़ पात्र छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करने के लिए 4731.98 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान 9.84 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने के लिए 3049.89 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
